



राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०) उ०प्र०  
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण, - सूडा उ.प्र.)

7/23, सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार, निकट डायल 100, गोमती नगर, लखनऊ 226027

e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक 2542/241/NULM/तीन/2001(CB&T) (DP)

दिनांक 02/08/2018

सेवा में,

सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर/परियोजना निदेशक,  
शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/जिला नगरीय विकास अभिकरण,  
जनपद- इलाहाबाद, वाराणसी, जौनपुर, चन्दौली, प्रतापगढ़।

विषय-स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों हेतु यूनीसेफ के सहयोग से दिनांक 17 एवं 18 अगस्त, 2018 को सूडा उ०प्र० में आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण में प्रतिभागिता के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रदेश के सतत विकास हेतु राज्य योजना आयोग से प्राप्त निर्देशों के क्रम में सूडा उ०प्र० द्वारा डेवलपमेन्ट पार्टनर यूनीसेफ उ०प्र० लखनऊ के सहयोग से दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों को बाल्य विवाह के दुष्परिणाम एवं बाल्यश्रम निवारण आधारित मुद्दों पर दो दिवसीय क्षमता संवर्धन/प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 17 एवं 18 अगस्त, 2018 में प्रातः 09:30 बजे से सूडा मुख्यालय स्थित कान्फ्रेंस हाल में आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में अच्छे सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को संचार में दक्ष, लीडरशिप करने वाली 4-4 महिला सदस्यों को प्रत्येक जनपदों से चिन्हित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम में (सामुदायिक आयोजक/शहर मिशन प्रबन्धक) को सम्मिलित कर केवल 5-5 प्रतिभागियों को प्रत्येक जनपद से प्रतिभाग करना है। उक्त प्रशिक्षण में प्रतिभागियों के आवासन एवं भोजन की व्यवस्था प्रशिक्षण स्थल पर की जायेगी। प्रतिभागियों को प्रशिक्षण में प्रतिभाग हेतु वास्तविक स्लीपर/सामान्य रोडवेज बस से की गई यात्रा का भुगतान सूडा उ०प्र० द्वारा किया जायेगा। प्रशिक्षण में प्रतिभागियों हेतु दिनांक 17 अगस्त, 2018 की प्रातः 09:00 बजे से 18 अगस्त, 2018 की सायं 06:00 बजे तक ठहरने आदि की व्यवस्था की जायेगी। जिसके दृष्टिगत आवश्यक है कि यात्रा का नियोजन तदानुसार किया जाये। DAY-NULM स्तर से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समन्वय श्री मो० तैयब, राज्य मिशन प्रबन्धक (मो० नं०-8573002220) द्वारा किया जायेगा। प्रशिक्षण के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु इनसे सम्पर्क किया जा सकता है।

अतः उक्त प्रशिक्षण में 4-4 स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ संबंधित सामुदायिक आयोजक/शहर मिशन प्रबन्धक को प्रशिक्षण में ससमय प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने की कष्ट करें।

भक्तदीय  
% (उमेश प्रताप सिंह)  
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव, नियोजन, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन।
3. संबंधित जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०।
4. राज्य प्रतिनिधि, यूनीसेफ, लखनऊ।
5. श्री पीयूष एनटोनी, सोशल पॉलिसी स्पेशलिस्ट, यूनीसेफ, लखनऊ।
6. संबंधित परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, सूडा, उ०प्र० को अनुपालनार्थ।
7. प्रभारी नजारत को प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु।
8. सहायक वेबमास्टर, सूडा उ०प्र० को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

% (उमेश प्रताप सिंह)  
मिशन निदेशक